आजाद, हकीम अजमल खाँ और डॉक्टर अन्सारी जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान इस रिपोर्ट को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के पक्ष में थे। शफी मुहम्मद इस रिपोर्ट को अस्वीकार करना चाहते थे और मुहम्मद अली जिन्ना इसमें कुछ ऐसे मौलिक परिवर्तन करना चाहते थे जिससे इसका स्वरूप ही बदल जाए। मुहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में अपनी 14 शर्तें पेश की और उनको सब दलों द्वारा स्वीकार करने पर बल दिया परन्तु कांग्रेस ने उनको स्वीकार नहीं किया। भारतीय मुसलमानों की तरफ से 'मुस्लिम कान्फ्रेंस' ने मुसलमानों के लिए साम्प्रदायिक चुनाव पद्धति, आबादी के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व या गुरुभार और केन्द्रीय तथा प्रान्तीय मंत्रिमंडलों में उचित प्रतिनिधित्व की माँग की। इसने यह भी माँग की कि अवशिष्ट शक्तियाँ प्रान्तों के पास रहें और केन्द्र के पास बिल्कुल न रहें।

(समाप्त)

डॉ० राजू मोची
विभागाध्यक्ष - राजनीति विज्ञान
डी॰ के॰ कालेज, डुमराँव
दिनांक 18/08/2020

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

प्रारंभ करने के उद्देश्य से वायसराय ने महात्मा गाँधी को यरवदा जेल एवं कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के अन्य सदस्यों मोतीलाल नेहरू एवं जवाहर लाल नेहरू को नैनी जेल से मुक्त करने का आदेश दिया। गाँधी और वायसराय के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई। कांग्रेस के बहुमत ने इस समझौते का स्वागत किया परन्तु वामपंथियों तथा युवकों ने इसका घोर विरोध किया। 25 मार्च 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन करांची में हुआ। इससे पूर्व 23 मार्च 1931 को विरोध स्वरूप सरकार द्वारा भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव को फाँसी पर चढ़ा दिया गया और उनके शवों को चुपचाप जला दिया गया। इसलिए युवक कांग्रेसियों ने विरोध में प्रदर्शन किया और काले झंडे दिखाए। महात्मा गाँधी ने अपने सम्बोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि हिंसा द्वारा स्वराज्य की प्राप्ति असम्भव है। इसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि भारतीयों ने समर्थन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार हो गया। कांग्रेस ने महात्मा गाँधी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया।

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में साम्प्रदायिक समस्या पर कोई निर्णय नहीं हो सका। नए गवर्नर जनरल लार्ड विलिंग्डन ने 'गाँधी-इरविन समझौते' की उपेक्षा करना प्रारंभ किया जिसके परिणाम स्वरूप 3 जनवरी 1932 को गाँधीजी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। गाँधीजी व सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने कठोर नीति अपनाई और धीरे-धीरे आन्दोलन की शक्ति कम होती गई। 7 अप्रैल 1934 को गाँधीजी ने आन्दोलन समाप्त कर दिया। सुभाषचन्द्र बोस ने इसे गाँधीजी की महानतम पराजय बतलाए तथा उनकी कार्य पद्धति की आलोचना की।

निष्कर्ष :- निष्कर्षतः सविनय अवज्ञा आन्दोलन असफल हुआ और स्वराज की प्राप्ति न हो सकी। भारतीय मुसलमान भी इस आन्दोलन से पृथक रहे, परन्तु सविनय अवज्ञा आन्दोलन से देश भर में उत्साह की एक नई लहर दौड़ गई। अन्यायपूर्ण कानूनों का अहिंसात्मक ढंग से भंग किया जाना इतिहास में एक नई मिसाल बन गया। 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' के फलस्वरूप द्वैध शासन प्रणाली का युग समाप्त हुआ। और 1935 में एक नई वैधानिक व्यवस्था भारत में शुरू की गई।

डॉ० राजू मोची
विभागाध्यक्ष - राजनीति विज्ञान
डी० के० कालेज, डुमराँव
दिनांक 13/08/20

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

नेहरू रिपोर्ट (NEHRU REPORT) (1)

जब भारतवासी साइमन का बहिष्कार कर रहे थे तो उस समय भारत-सचिव लॉर्ड बर्कनहैड ने भारतीयों को ऐसा संविधान बनाने के लिए चुनौती दी जिससे सब भारतीय सहमत हो। उसने कहा कि बहिष्कार में कोई समझदारी नहीं है जबकि भारतीय स्वयं ऐसा कोई संविधान तैयार करने में असमर्थ है जिसे भारत के सभी दल स्वीकार कर लें। कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 28 फरवरी, 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। इसमें 29 संस्थाओं ने भाग लिया। कुछ मौलिक बातों को निश्चित करने के बाद इसकी बैठक स्थगित हो गई और 10 मई 1928 को बम्बई में इसकी दुबारा बैठक हुई जहाँ पर भारत के संविधान का प्रारूप (ड्राफ्ट) तैयार करने के लिए 8 व्यक्तियों की एक कमेटी नियुक्त की गई। पंडित मोतीलाल नेहरू इस कमेटी की अध्यक्षता की, इसलिए इस कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की, वह नेहरू रिपोर्ट कहलाई। श्री सुभाष चन्द्र बोस, सर तेज बहादुर सप्रु, सैय्यद कुरैशी, सरदार मंगल सिंह, श्री एम० एस० अणे, सर अली इमाम श्री जी० आर० प्रधान इसके सदस्य थे। बाद में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में सब दलों के प्रतिनिधियों ने इसे स्वीकार कर लिया।

नेहरू रिपोर्ट में की गई सिफारिशें :— नेहरू रिपोर्ट में की गई सिफारिशें निम्नलिखित थी :—

(i) **औपनिवेशिक स्वराज्य तथा पूर्ण उत्तरदायी शासन** :— यद्यपि इस कमिटी का बहुमत औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में था परन्तु थोड़ी सी संख्या पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में भी थी। नेहरू रिपोर्ट ने इन दोनों पक्षों में समझौता कराने के लिए बीच का रास्ता अपनाया। इसने भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य अन्तिम ध्येय के रूप में नहीं बल्कि तात्कालिक लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। कमेटी ने उन सब दलों को, जो पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी। इसने यह भी सिफारिश की कि केन्द्र और प्रान्तों में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए और कार्यकारिणी को उनकी तरफ उत्तरदायी बनाया जाए।

(ii) **प्रान्तीय स्वायत्तता तथा अवशिष्ट शक्तियाँ** :— कमेटी ने भारत के लिए भविष्य में संघ की स्थापना की कल्पना की। इसने प्रान्तों को स्वायत्तता देने पर विशेष बल दिया। प्रान्तों और केन्द्र में संघीय आधार पर शक्तियों के बँटवारे की सिफारिश की गई। अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र के पास रखी गई। यह कनेडा के संविधान को आदर्श मानकर किया गया ताकि केन्द्र शक्तिशाली बना रहे। प्रान्तों में कानून बनाने के लिए एक सदन होगा।